न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 32 / 2021 (2021 / 183) दर्ज दिनांक 04.06.2021

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

1. दिनेश कुमार आत्मज मोहनलाल सुराणा निवासी सहाड़ा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)

..... प्रार्थी

बनाम

1. कल्पनादेवी पुत्री मोहनलाल सुराणा
2. गिरजा पुत्री मोहनलाल सुराणा
3. इन्द्राकुमारी पुत्री मोहनलाल सुराणा
4. नजरबाई पत्नि मोहनलाल सुराणा (डिलिट)
5. पुष्पादेवी पुत्री मोहनलाल सुराणा
6. मौसमदेवी पुत्री मोहनलाल सुराणा
7. रमनकुमार आत्मज मोहनलाल सुराणा
   सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज)।
8. केसरदेवी पत्नि शिवलाल जीनगर निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. गिरीराज आत्मज सत्यनारायण पलोड निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
10. चांदमल आत्मज मोतीलाल जीनगर निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. मुबारिक हुसैन आत्मज शौकत खां पठान निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. रतनलाल आत्मज सोहनलाल पलोड निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
13. रामसहाय आत्मज मोहनलाल बहेडिया निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
14. विष्णुप्रसाद आत्मज भगवतीलाल जोशी (ब्राह्मण) निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
15. शिवप्रसाद आत्मज भगवतीलाल जोशी (ब्राह्मण) निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
16. सुनिल आत्मज रिख्बचन्द हींगड निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
17. नरेशकुमार आत्मज कन्हैयालाल पलोड निवासी 37 आर0सी0व्यास कोलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

..... विपक्षीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:42:17 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– प्रार्थीगण अधिवक्ता – श्री यासीन मो0 पठान

विपक्षी सं. 01– 16 अधिवक्ता – श्री सुनील बापना

1.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :–32/2021 (2021/183)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–12.07.2021

:: निर्णय ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है – प्रार्थी ने उक्त अनवान प्रकरण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या एक लगायत सात के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 2373 रकबा 0.39 हे0 भुमि राजस्व खाता संख्या 1101 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है।

यह कि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या एक लगायत सात के खातेदारी की उक्त कृषि आराजी संख्या 2373 में भीलवाड़ा – उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 से होते हुए उक्त राजमार्ग के पश्चिम तरफ स्थित गढ़बोर नगर कोलोनी में स्थित 25 फीट चौड़े रास्ते से होकर उक्त रास्ते के दक्षिणी ओर स्थित रास्ते से होकर आगे विपक्षीगण संख्या आठ लगायत 16 की आराजी संख्या 2376/1 की दक्षिणी एवं विपक्षी संख्या 17 की आराजी संख्या 7960/2374 की उतरी तरफ स्थित 25 फीट चौड़े रास्ते से होकर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक लगायत सात अपनी आराजी संख्या 2373 में संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर सहित प्रवेश कर आवागमन करते चले आ रहे हैं। यह आवागमन का रास्ता काफी पुराना होकर करीबन 25 फीट की चौड़ाई में स्थित हैं।

यह कि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या एक लगायत सात की उक्त आराजी संख्या 2373 मे आवागमन करने का यही एक मात्र रास्ता है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या एक लगायत सात की आराजी में आवागमन करने हेतु मौजुद नहीं है। जिससे उक्त वर्णित रास्ता मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या एक लगायत सात के लिए आत्यान्तिक आवश्यकता का रास्ता हैं।

यह कि रास्ते की भूमि विपक्षीगण संख्या आठ लगायत 17 के नाम पर दर्ज होने का नाजायज लाभ उठा कर उन्होंने दिनांक 28.02.2021 को रास्ते की भूमि में पत्थर डाल कर रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर बंद कर दिया। मुझ प्रार्थी ने विपक्षीगण संख्या आठ लगायत 17 को रास्ता बंन्द करने से मना किया तो विपक्षीगण ने कहा कि यह रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है इसलिए हमने रास्ते को बंद कर दिया है और अब यंहा हम गढ़बोर नगर कोलोनी बसायेंगे। जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पड़ा है।

यह कि उक्त वर्णित रास्ता सुविधाजनक रास्ता बनाने [illegible] है बल्कि यही एक मात्र रास्ता मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या एक [illegible] का है। जिससे प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या एक लगायत सात उक्त वर्णित रास्ते को [illegible] की राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाया जाना आवश्यक हो गया हैं इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार एवं न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:42:17 IST
Reason: SelfAttested

2.

खण्ड अधिकारी
गापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या एक लगायत सात की आराजी संख्या 2373 में सांज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन करने का एकमात्र रास्ता जो भीलवाड़ा – उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 से होते हुए उक्त राजमार्ग के पश्चिम तरफ स्थित गढ़बोर नगर कोलोनी में स्थित 25 फीट चौड़े रास्ते से होकर उक्त रास्ते के दक्षिणी ओर स्थित रास्ते से होकर आगे विपक्षीगण संख्या आठ लगायत 16 की आराजी संख्या 2376/1 की दक्षिणी एवं विपक्षी संख्या 17 की आराजी संख्या 7960/2374 की उत्तरी तरफ स्थित 25 फीट चौड़े रास्ते से होकर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक लगायत सात अपनी आराजी संख्या 2373 में प्रवेश करते है को बिलानाम गै0 मु0 रास्ता दर्ज करवाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 04.06.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये । विपक्षी सं. 01 से 03 व 5 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती हैं। विपक्षी संख्या 8 लगायत 16 की और से अधिवक्ता श्री सुनील बापना ने अधिकार पत्र पेश किया तथा विपक्षी सं 17 स्वयं उपस्थित। विपक्षी सं. 04 की सम्मन रिपोर्ट अनुसार मृत्यु होना बताया गया जिसके कायम मुकाम प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या एक लगायत सात पूर्व से ही प्रार्थना पत्र में उनवान होने से तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 04 के विरूद्ध कोई दाद नहीं चाहने से विपक्षी संख्या 04 का नाम डिलिट किया जाता हैं।

प्रार्थी के द्वारा दिनांक 19.04.2021 मूल प्रार्थना पत्र के साथ पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 एवं दिनांक 02.07.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी ने उक्त उनवान व प्रकरण संख्या 32/2021 का प्रार्थना पत्र दफा 251 ए आर0टी0एक्ट का पेश कर रखा है जिससे विपक्षी संख्या एक लगायत सात आराजी संख्या 2373 के सह खातेदार होने से तथा वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने उन्हें तरदादी पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये हैं एवं विपक्षी संख्या 4 फौत हो गई जिसके वारिसान प्रार्थी संख्या एक जो स्वयं हूँ एवं विपक्षी संख्या एक लगायत सात है। जिसके विरूद्ध में इस प्रार्थना पत्र में कोई दाद व रिलीफ नहीं चाहता हूँ। यह कि विपक्षी संख्या 17 नरेश पलोड मौके पर स्थित आराजी संख्या 7960/2374 जो इस प्रकरण में विवादित है पर भूखण्ड अनाधिकृत व अवैध तरीके से काट कर बेच रहा है व निर्माण कर रहा हैं जिससे मेरी आराजी सं0 2373 में काश्त करने हेतु आवागमन मे रूकावट आ रही है, मुझ प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 17 को मना किया तो लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा है, और मुझ प्रार्थी को डराता है कि मेरी पहुंच बहुत उपर तक है तेरे से जो हो वो कर ले।

यह है कि प्रार्थना पत्र की ताईद मे मुझ प्रार्थी का शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थी के पक्ष मे विपक्षी संख्या 17 के विरूद्ध इस आशय का स्थगन आदेश ताफैसला मूल प्रार्थना पत्र जारी फरमाया जावे कि विपक्षी संख्या 17 ग्राम सहाडा की आराजी संख्या 7960/2774 की उत्तरी तरफ स्थित 25 फिट चौड़े रास्ते में नींव नहीं खोदे और न ही अवै[illegible] काटे गये भू–खण्ड का हस्तान्तरण करें, व विवादित आराजियात की मौके रि[illegible] का आदेश फरमावें व ताफैसला विवादित आराजी संख्या 7960/2774 पर भूखण्डों का हस्तान्त[illegible] किसी प्रकरण निर्माण न करे का स्थगन आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:42:17 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :—32/2021 (2021/183)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 पर विपक्षी संख्या 8 लगायत 17 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 मे प्रार्थी। 251 ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है जो मनगंढ़त तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही खारिज होगा।

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 2 का जवाब यह है कि ग्राम सहाड़ा की आराजी संख्या 2373 रकबा 0.39 हे0 के खातेदारी वादी व विपक्षीगण संख्या एक लगायत सात है उनमे से विपक्षी संख्या 4 नजरबाई सुराणा की गृत्यु प्रार्थी के उक्त प्रार्थन पत्र प्रस्तुती से काफी समय पूर्व हो गई है, प्रार्थी ने मृतक के विरूद्ध भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही अबेट होकर कानूनन खारिज योग्य है। प्रार्थी की आराजी संख्या 2373 में आने जाने का कोई रास्ता विपक्षीगण संख्या 8 लगायत 16 की आराजी संख्या 2376/1 व विपक्षी संख्या 17 की आराजी संख्या 7960/2374 में नही है बल्कि प्रार्थी की आराजी संख्या 2373 में आने जाने का रिकोर्डेड रास्ता ग्राम सहाड़ा से कांगणी जाने वाली मुख्य सड़क से लगा हुआ गे0मु0 रास्ता की आराजी संख्या 2367 से होता हुआ आराजी संख्या 2372 की दक्षिणी पाली से होता हुआ प्रार्थी की आराजी संख्या 2373 में जाता है उक्त रास्ता 15 फीट चौड़ा है जिससे प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 7 वर्षो से गाड़ी, संज, बेल, ट्रेक्टर आदि से आ जा रहे हैं। जिससे संलग्न नजरी नक्शे में सुर्खी से दर्शाया गया हैं। इसी प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 2373 में आने जाने का दुसरा रास्ता भीलवाड़ा राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग से लगता हुआ आराजी संख्या 2317 से होता हुआ आगे आराजी संख्या 7962/2374 से होता हुआ प्रार्थी की आराजी में जाता है उक्त रास्ता भी मौके पर लगभग 15 फीट होकर खुला हुआ है उक्त रास्ते का उपयोग भी प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 7 वर्षो से करते चले आ रहे हैं। जिसे संलग्न नजरी नक्शे में सुर्खी से दर्शाया गया है। प्रार्थी जवाबदाता विपक्षीगण की बेसकीमती भूमि को खराब करने के लिये नाजायज रूप से नवीन रू॰ से जवाबदातागण की आराजीयात मे रास्ता लेना चाहते है जो कतई न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के लिए दो रास्ते पहले से ही मौजूद है जिनसे होकर प्रार्थी वर्षो से अपनी आराजी में आ जा रही है तो कानूनन भी नवीन रास्ता जवाबदातागण की आराजियात में कायम नही किया जा सकता, इसलिए प्रार्थना प्रार्थी खारिज योग्य है। इसी प्रकार प्रार्थनपत्र की कलम संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार की है। जवाब के समर्थन में विपक्षी संख्या 17 नरेश कुमार पलोड का शपथ पत्र पेश है। अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा /स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावें।

इसी प्रकार विपक्षगण संख्या 8 लगायत 17 की आरे से दिनांक 02.07.2021 को मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 का जवाब यह हैं कि ग्राम सहाड़ा की आराजी संख्या 2373 रकबा 0.39 हे0 के खातेदारी वादी व विपक्षीगण संख्या एक लगायत सात है उनमे से विपक्षी संख्या 4 नजरबाई सुराणा की मृत्यु प्रार्थी के उक्त प्रार्थन पत्र प्रस्तुती से काफी समय पूर्व हो गई है, प्रार्थी ने मृतक के विरूद्ध भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही अबेट होकर कानूनन खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:42:17 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 02 गलत होकर अस्वीकार है, आराजी संख्या 2373 में आने जाने का कोई रास्ता विपक्षीगण संख्या 8 लगायत 16 की आराजी संख्या 2376/1 व विपक्षी संख्या 17 की आराजी संख्या 7960/2374 में नही है बल्कि प्रार्थी की आराजी संख्या 2373 में आने जाने का रिकोर्डेड रास्ता ग्राम सहाड़ा से कांगणी जाने वाली मुख्य सड़क से लगा हुआ गे0मु0 रास्ता की आराजी संख्या 2367 से होता हुआ आराजी संख्या 2372 की दक्षिणी पाली से होता हुआ प्रार्थी की आराजी संख्या 2373 में जाता है उक्त रास्ता 15 फीट चौड़ा है जिससे प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 7 वर्षो से गाड़ी, संज, बेल, ट्रेक्टर आदि से आ जा रहे हैं। जिससे संलग्न नजरी नक्शे में सुर्खी से दर्शाया गया हैं। इसी प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 2373 में आने जाने का दुसरा रास्ता भीलवाड़ा राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग से लगता हुआ आराजी संख्या 2317 से होता हुआ आगे आराजी संख्या 7962/2374 से होता हुआ प्रार्थी की आराजी में जाता है उक्त रास्ता भी मौके पर लगभग 15 फीट होकर खुला हुआ है उक्त रास्ते का उपयोग भी प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 7 वर्षो से करते चले आ रहे हैं। जिसे संलग्न नजरी नक्शे में सुर्खी से दर्शाया गया है। प्रार्थी जवाबदाता विपक्षीगण की बेसकीमती भूमि को खराब करने के लिये नाजायज रूप से नवीन रूप से जवाबदातागण की आराजीयात मे रास्ता लेना चाहते है जो कतई न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के लिए दो रास्ते पहले से ही मौजूद है जिनसे होकर प्रार्थी वर्षो से अपनी आराजी में आ जा रही है तो कानूनन भी नवीन रास्ता जवाबदातागण की आराजियात में कायम नही किया जा सकता, इसलिए प्रार्थना प्रार्थी खारिज योग्य है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 लगायत 9 को गलत बताकर अस्वीकार किया तथा मजीद कथन प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की आराजी संख्या 2373 में आने जाने के लिए दो रास्ते पहला रास्ता सहाड़ा से कांगणी मुख्य सड़क से लगा हुआ गे0मु0 रास्ते की आराजी संख्या 2367 से होता हुआ आराजी संख्या 2372 की दक्षिणी पाली से होता हुआ प्रार्थी की आराजी में जाता है उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थी व उसके पूर्वज वर्षो से करते चले आ रहे है उक्त रास्ता मौके पर 15 फीट चौड़ा है द्वितीय रास्ता भीलवाड़ा राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग से होता हुआ आराजी संख्या 2317 से होता हुआ आगे आराजी संख्या 7962/2374 की दक्षिण पाली से होता हुआ प्रार्थी आराजी संख्या 2373 में जाता है उक्त रास्ता भी मौके पर लगभग 15 फीट चौड़ा है जिसका उपयोग भी प्रार्थी वर्षो से करता चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी ने केवल मात्र जवाबदाता विपक्षीगण को नाजायज परेशान करने व बेसकीमती भूमि को खराब करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:42:17 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार प्रस्तुत जवाब के बाद तहसीलदार सहाड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहीसलदार सहाड़ा के पत्रांक/राजस्व/21/486 दिनांक 06.07.2021 से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसके अनुसार:–
–यह कि ग्राम सहाड़ा के आराजी नं0 7960/2374 [illegible] भूमि में वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है।
–यह कि मौके पर उक्त आराजी पर कोई रास्ते के निशानात मौजूद नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

–यह कि मौके पर विवादित रास्ते के अलावा अन्य रास्ता मौजूद है जिसके आराजी नं0 2367 रकबा 0.12 हे0 किस्म गै0मु0रास्ता होकर बिलानाम दर्ज रेकार्ड हैं एवं उक्त रास्ता न्यूनतम दूरी पर स्थित हैं

–यह कि मौके पर उपस्थित मौतबिरान व विपक्षीगणो ने बताया कि आराजी नं0 2373 रकबा 0.39 हे0 मे वर्तमान में एन0एच0 758 से आराजी नं0 2317 गै0मु0आचा के रास्ते से होकर आराजी नं0 2318 की उत्तरी मेड से आते–जाते रहे है, आराजी नं0 7960/2374 रकबा 0.1166 हे0 से कोई रास्ता नहीं रहा हैं

–यह कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी नं0 पर कोई रास्ता नहीं है।

–यह कि मौके पर आराजी नं0 2373 रकबा 0.39 हे0 के पश्चिम में आम रास्ता आराजी नं0 2367 रकबा 0.12 हे0 किस्म गै0मु0 रास्ता बिलानाम दर्ज रेकार्ड होकर मौके पर उक्त रास्ता चालू है। तथा उक्त रास्ता भूमि आराजी नं0 2373 जो न्यूनतम दूरी पर स्थित हैं। अर्थात प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन का राजकीय रास्ता पूर्व में ही रेकार्ड व मौके पर उपलब्ध हैं।

–यह कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन का न्यूनतम रास्ता आराजी नं0 2372 में से दिया जा सकता है किन्तु प्रार्थना पत्र में आराजी नं0 2372 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया जाने से व चाहा गया रास्ता अधिक दूरी पर होने से इसी स्तर पर खारिज फरमावें।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 एवं मूल प्रार्थना पत्र 251 ए आ0टी0एक्ट व मौका रिपोर्ट पर बहस हेतु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अवसर चाहा न्यायहित में कई अवसर दिये गये प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु अंतिम अवसर दिये जाने पर भी बहस के लिए उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय बहस विपक्षीगण के अधिवक्ता की मजमे आम में सुनी गई। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस उक्त दोनो प्रार्थना पत्र के जवाब को दोहराया एवं तहसीलदार सहाड़ा की मौका रिपोर्ट का अवलोकन करवाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 ज0 दी0 एवं 251 ए आर0टी0एक्ट का खारिज करने हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण की एक पक्षीय बहस व मौका रिपोर्ट तथा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। मौका रिपोर्ट के अवलोकन व विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब में व दौराने बहस में बताये गये तथ्य से जाहिर होता है कि ग्राम सहाड़ा के आराजी नं0 7960/2374 रकबा 0.1166 हे0 भूमि में वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। मौके पर उक्त आराजी पर कोई रास्ते के निशानात मौजूद नहीं है, मौके पर विवादित रास्ते के अलावा अन्य रास्ता मौजूद है जिसके आराजी नं0 2367 रकबा 0.12 हे0 किस्म गै0मु0रास्ता होकर बिलानाम दर्ज रेकार्ड हैं एवं उक्त रास्ता न्यूनतम दूरी पर स्थित हैं, आराजी नं0 2373 रकबा 0.39 हे0 मे वर्तमान में एन0एच0 758 से आराजी नं0 2317 गै0मु0आचा के रास्ते से होकर आराजी नं0 2318 की उत्तरी मेड से आते–जाते है, आराजी नं0 7960/2374 रकबा 0.1166 हे0 से कोई रास्ता नहीं रहा हैं, मौके पर आराजी नं0 2373 रकबा 0.39 हे0 के पश्चिम में आम रास्ता आराजी नं0 2367 रकबा 0.12 हे0 किस्म गै0मु0 रास्ता बिलानाम दर्ज रेकार्ड होकर मौके पर उक्त रास्ता चालू है। तथा उक्त रास्ता भूमि आराजी नं0 2373 जो न्यूनतम दूरी पर स्थित हैं। अर्थात प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन का राजकीय रास्ता पूर्व में ही रेकार्ड व मौके पर उपलब्ध हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन का न्यूनतम रास्ता आराजी नं0 2372 में से दि[illegible]ता है किन्तु प्रार्थना पत्र में आराजी नं0 2372 के खातेदार को पक्षकार नहीं [illegible]दूरी पर होने से प्रार्थी के कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होने से एवं [illegible] नहीं होने से नया रास्ता कायम करना न्यायालय उचित नहीं समझत्ता है। जिससे प्रार्थीगण का यह [illegible]ना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:42:17 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
[illegible]पुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :–32/2021 (2021/183)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 एवं 251 ए आर टी ए का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया किया जाता है। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा 7.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:42:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner